



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

लखनऊ, मंगलवार, 13 अप्रैल, 1976

चक्र 24, 1898 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार  
विधायिका अनुभाग-1

संख्या 1504/सत्वह-वि-1--166-75

लखनऊ, 13 अप्रैल, 1976

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने के लिये बाध्य करना) विधेयक, 1976 पर दिनांक 12 अप्रैल, 1976 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, 1976 के रूप में सर्व-साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य करना) अधिनियम, 1976

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, 1976)

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

कतिपय विभागीय जांच में साक्षियों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य करने और उसके सम्बन्धित या अनुसंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

- 1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य करना) अधिनियम, 1976 कहा जायगा।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।
- (3) यह 17 सितम्बर, 1975 से प्रवृत्त समझा जायगा।

2—इस अधिनियम के उपबन्ध उस व्यक्ति के सम्बन्ध में की गयी प्रत्येक विभागीय जांच पर लागू होंगे:—

(क) जो व्यक्ति राज्य की किसी असैनिक सेवा के सदस्य हैं या राज्य के अधीन किसी असैनिक पद को धारण करते हैं;

(ख) जो व्यक्ति निम्नलिखित की सेवा में हैं या उनके अधीन कोई पद धारण किये हुए हैं:—

(1) कोई स्थानीय प्राधिकारी;

(2) राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण का कोई बोर्ड या निगम (जो

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अर्थान्तगत कोई कम्पनी न हो);

संक्षिप्त नाम,  
विस्तार और  
प्रारम्भ

विभागीय जांच,  
जिन पर अधि-  
नियम लागू होगा

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अर्थात्गत कोई सरकारी कम्पनी, जिसने राज्य सरकार समावृत्त अंश-पूँजी के पचास प्रतिशत से अधून को धारण किये हैं या ऐसी सरकारी कम्पनी की समनुषंगी कोई कम्पनी;

(4) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी, जिसके शासी निकाय में, सोसाइटी के नियमों या विनियमों के अधीन, पूर्णतया लोक अधिकारी या राज्य सरकार के नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति, या दोनों हैं;

(ग) जो व्यक्ति खण्ड (क) या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी सेवा के सदस्य या किसी पद के धारण करने वाले न रह गये हों, उनके उस समय के कार्य या लोप के सम्बन्ध में जब कि वे ऐसी सेवा के सदस्य या ऐसे पदों के धारण करने वाले थे।

### परिभाषाएँ

3—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए—

(क) "विभागीय जांच" का तात्पर्य धारा 2 में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोपों की जांच से है, जो:—

(i) राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई किसी विधि या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम; या

(ii) संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बनाये गये, या अनुच्छेद 313 के अधीन जारी रखे गये किसी नियम,

के अधीन और अनुसार की जायं;

(ख) "जांचकर्ता प्राधिकारी" का तात्पर्य किसी ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी से है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या नियम के द्वारा या अधीन विभागीय जांच करने के लिए सशक्त है, और उसके अन्तर्गत वह अधिकारी या प्राधिकारी भी है, जिसको सक्षम प्राधिकारी ने ऐसी जांच करने की शक्ति प्रतिनिहित कर दी है;

(ग) "आरोप" के अन्तर्गत कोई ऐसा अभिक्रयन भी है जिसके सम्बन्ध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध, जब वह सेवा में हो या जब वह कोई पद धारण करता हो, अनुशासनिक कार्यवाही करना प्रस्तावित हो या, जहाँ वह सेवा में न रह गया हो या पद न धारण कर रहा हो, वहाँ कोई दुराचरण या उपेक्षा भी है, जिसके कारण पेंशन को या उसके किसी भाग को रोकने या वापस लेने के लिए या सेवायोजक को किसी आर्थिक हानि को पेंशन से वसूल करने के लिए उसके विरुद्ध कार्यवाही करना प्रस्तावित हो।

4—(1) प्रत्येक जांचकर्ता प्राधिकारी को निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में वही शक्ति होगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद पर विचार करते समय किसी सिविल न्यायालय में निहित है, अर्थात्:—

(क) किसी साक्षी को समन करना और उसे हाजिर होने के लिए बाध्य करना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज या अन्य सामग्री को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना जो साक्ष्य के रूप में पेश किये जाने योग्य हो;

(ग) किसी विशेषाधिकार को अद्ययना के अधीन (जिसके सम्बन्ध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 123 और 124, आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगी किन्तु उसकी धारा 162 लागू न होगी), किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख की अभियाचना करना।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकृत जांचकर्ता प्राधिकारी रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, स्टेट बैंक आफ इण्डिया (सब्सिडियरी बैंक) ऐक्ट, 1959 की धारा 2 के खण्ड (के) में यथापरिभाषित किसी समनुषंगी बैंक, या बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 के अधीन गठित किसी समरूपी नये बैंक को:—

(क) कोई लेखा वही या अन्य दस्तावेज को, जिसे रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, समनुषंगी बैंक या समरूपी नया बैंक गोपनीय प्रकार का होने का दावा करे, पेश करने; या

(ख) ऐसी किसी वही या दस्तावेज को विभागीय जांच की कार्यवाहियों के अभिलेख का अंग बनाने; या

(ग) ऐसी किसी वही या दस्तावेज को, यदि पेश किया जाय, अपने समक्ष किसी पक्षकार को या किसी अन्य व्यक्ति को निरीक्षण कराने;

के लिए बाध्य नहीं करेगा।

(3) किसी साक्षी की हाजिरी या किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी की गई कोई आदेशिका या तो सीधे (डाक द्वारा या सन्देशवाहक द्वारा) या उस जिला न्यायाधीश के माध्यम से तामील और निष्पादित की जा सकती है, जिसको अधिकारिता की

प्राधिकृत जांचकर्ता प्राधिकारी की साक्षियों को हाजिर कराने और दस्तावेज प्रस्तुत कराने की शक्ति

अधिनियम संख्या 2 186

अधिनियम संख्या 19

अधिनियम संख्या 18

ऐक्ट 38, 19 अधिनियम संख्या 19

स्थानीय सीमाओं के भीतर वह साक्षी या अन्य व्यक्ति, जिस पर आदेशिका तामील या निष्पादित की जानी है, स्वेच्छा से निवृत्त करता है या कारबार करता है या अभिलाष के लिए स्वयं काम करता है।

(4) जहां कोई आदेशिका, उपधारा (3) के अनुसार जिला न्यायाधीश के माध्यम से तामील या निष्पादित की जाय वहां वह, उतही अवज्ञा के लिए कोई कार्यवाही करने के प्रयोजनार्थ, जिला न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा जारी की गई आदेशिका समझी जायगी।

(5) जहां कोई आदेशिका उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट नरी प्रोसीडिंग्स (एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल) क्लस, 1947 के अधीन गठित किसी अधिकरण द्वारा जारी की जाय, और उसको जिला न्यायाधीश के माध्यम से प्रेषित किये बिना तामील और निष्पादित किया जाय, वहां ऐसी किसी आदेशिका की अवज्ञा के लिए कोई कार्यवाही करने के प्रयोजनार्थ अधिकरण को वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 को प्रथम अनुसूची में आदेश 16 के नियम 10 से 18 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं।

(6) इस अधिनियम के अधीन विभागीय जांच करने वाला प्रत्येक जांचकर्ता प्राधिकारी दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और 346 के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय समझा जायगा।

5--धारा 4 में विनिर्दिष्ट शक्ति का प्रयोग करने के प्रयोजनार्थ, प्रत्येक प्राधिकृत जांचकर्ता प्राधिकारी की क्षेत्रीय अधिकारिता इस अधिनियम के विस्तार-पर्यन्त क्षेत्रीय सीमाओं तक विस्तृत होगी।

6--राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यन्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।

7--(1) उत्तर प्रदेश अनुशासनोप कार्यवाही (साक्षियों को बुलाने तथा लेख्यों को प्रस्तुत कराने का) अधिनियम, 1953 दिनांक 17 सितम्बर, 1975 से निरसित किया जाता है।

(2) उत्तर प्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य करना) अध्यादेश, 1976 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(3) ऐसे निरसन या 1976 के उपर्युक्त अध्यादेश द्वारा उत्तर प्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य करना) अध्यादेश, 1975 के निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्ध के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही समझी जायगी, मानों यह अधिनियम सभी सारभूत दिनांकों पर प्रवृत्त था।

No. 1504/XVII-V-1-166-75

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Vibhagiya Janch (Sakshiyon Ko Hazir Hone Aur Dastavez Pesh Karne Ke Liye Badhya Karna) Adhiniyam, 1976 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 4, 1976) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 12, 1976.

THE UTTAR PRADESH DEPARTMENTAL INQUIRIES (ENFORCEMENT OF ATTENDANCE OF WITNESSES AND PRODUCTION OF DOCUMENTS) ACT 1976.

[U. P. ACT No. 4 OF 1976]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN  
ACT

to provide for the enforcement of attendance of witnesses and production of documents in certain departmental inquiries and for matters connected therewith or incidental thereto.

ENACTED IN PARLIAMENT THIS 27TH DAY OF MARCH 1976 BY THE PRESIDENT OF INDIA IN EXECUTION OF THE POWERS CONFERRED BY SECTION 123 OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Enacted by the Legislature of the State of Uttar Pradesh.

It extends to the whole of Uttar Pradesh.

क्षेत्रीय सीमाओं  
जिनमें धारा 4 में  
विनिर्दिष्ट शक्ति  
का प्रयोग किया  
जा सकेगा

नियम बनाने  
की शक्ति

निरसन और  
अपवाद

अधिनियम  
संख्या 5,  
1974

अधिनियम  
संख्या 2,  
1974

उत्तर प्रदेश  
अधिनियम  
संख्या 21,  
1953

उत्तर प्रदेश  
अध्यादेश  
संख्या 1,  
1976

Short title,  
extent and com-  
mencement.

(3) It shall be deemed to have come into force on September 17, 1975.

Departmental inquiries to which the Act shall apply.

2. The provisions of this Act shall apply to every departmental inquiry made in relation to—

(a) persons who are members of any civil service of the State or who hold any civil post under the State;

(b) persons who are in the service of or hold any post under:—

(i) any local authority;

(ii) any Board or Corporation (not being a company within the meaning of the Companies Act, 1956) owned or controlled by the State Government;

(iii) any Government Company, within the meaning of section 617 of the Companies Act, 1956, in which not less than fifty per cent of the paid-up share capital is held by the State Government, or any company which is a subsidiary of such Government Company;

(iv) any society registered under the Societies Registration Act, 1860, the governing body whereof consists, under rules or regulations of the society, wholly of public officers, or nominees of the State Government, or both;

(c) persons who have ceased to be members of a service or holders of a post referred to in clause (a) or clause (b), in relation to their acts or omissions while they were members of such service or holders of such post.

Definitions.

3. For the purposes of this Act—

(a) "departmental inquiry" means an inquiry held under and in accordance with—

(i) any law made by the State Legislature or any rule made thereunder, or

(ii) any rule made under the proviso to Article 309, or continued under Article 313 of the Constitution,

into any charges against any person referred to in section 2;

(b) "inquiring authority" means any officer or authority who is empowered by or under any law or rule for the time being in force to hold a departmental inquiry, and includes an officer or authority to whom the power to hold such inquiry is delegated by the competent authority;

(c) "charges" include any allegation in respect of which disciplinary action is proposed to be taken against a person while he is in service or while he holds a post, or where he has ceased to be in service or to hold a post, any misconduct or negligence on account of which action by way of withholding or withdrawing pension or any part of it or of recovery from pension of any pecuniary loss caused to the employer is proposed to be taken against him.

Power of authorised inquiring authority to enforce attendance of witnesses and production of document.

4. (1) Every inquiring authority shall have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908, while trying a suit, in respect of the following matters; namely:—

(a) the summoning and enforcing the attendance of any witness and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of any document or other material which is producible as evidence;

(c) subject to any claim of privilege (in respect of which sections 123 and 124 of the Indian Evidence Act, 1872 shall *mutatis mutandis* apply but section 162 thereof shall not apply), the requisitioning of any public record from any court or office.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the authorised inquiring authority shall not compel the Reserve Bank of India, the State Bank of India, any subsidiary bank as defined in clause (k) of section 2 of the

Act I of 1956.

Act I of 1860.

Act I of 1908.

Act I of 1872.

Act XXXIII of 1947.

Act V of 1970. State Bank of India, (Subsidiary Banks) Act, 1959, or any corresponding new Bank constituted under section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970,—

(a) to produce any books of account or other documents which the Reserve Bank of India, the State Bank of India, the subsidiary bank or the corresponding new bank claims to be of a confidential nature, or

(b) to make any such books or documents a part of the record of the proceedings of the departmental inquiry, or

(c) to give inspection of any such books or documents, if produced to any party before it or to any other person.

(3) Any process issued by an inquiring authority for the attendance of any witness or for the production of any document may be served and executed either direct (by post or by messenger) or through the District Judge within the local limits of whose jurisdiction the witness or other person on whom the process is to be served or executed, voluntarily resides or carries on business or personally works for gain.

(4) Where a process is served and executed through the District Judge in accordance with sub-section (3), it shall, for the purposes of taking any action for the disobedience thereof, be deemed to be a process issued by the Court of the District Judge.

Act V of 1908.

(5) Where a process is issued by a tribunal constituted under the Uttar Pradesh Disciplinary Proceedings (Administrative Tribunal) Rules, 1947, and is served and executed without its being routed through the District Judge, the tribunal shall, for the purposes of taking any action for the disobedience of any such process, have the same powers as are vested in a civil court under rules 10 to 18 of order 16 in the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908.

Act 2 of 1974.

(6) Every inquiring authority making any departmental inquiry under this Act shall be deemed to be a civil court for the purposes of sections 345 and 346 of the Code of Criminal Procedure, 1973.

5. For the purposes of exercising the powers specified in section 4, the territorial jurisdiction of every authorised inquiring authority shall extend to the limits of the territory to which this Act extends.

Territorial limits in which powers specified in section 5 may be exercised.

Act XX of 1953.

6. The State Government may, by notification make rules for the purpose of giving effect to the provisions of this Act.

Power to make rules.

U.P. Ordinance n. 1 of 1976.

7. (1) The Uttar Pradesh Disciplinary Proceedings (Summoning of Witnesses and Production of Documents) Act, 1953, is repealed with effect from September 17, 1975.

Repeal and savings.

(2) The Uttar Pradesh Departmental Inquiries (Enforcement of Attendance of Witnesses and Production of Documents) Ordinance, 1976 is hereby repealed.

(3) Notwithstanding such repeal or the repeal of the Uttar Pradesh Departmental Inquiries (Enforcement of Attendance of Witnesses and Production of Documents) Ordinance, 1975, by the aforesaid Ordinance of 1976, anything done or any action taken under the said Ordinances shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act, as if this Act was in force on all material dates.

अज्ञा से,

कलाश नाथ गोयल,

सचिव ।